रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 272] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 28, 1972/कार्तिक 6, 1894

No. 272] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 28, 1972/KARTIKA 6, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 28th October 1972

G.S.R. 453(E).—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts palm oil, when imported into India, for use in the manufacture of vanaspati, from—

(a) so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), as is in excess of 30 per cent *ad valorem*, where the standard rate of duty is leviable;

(b) So much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 20 per cent *ad valorem*, where the preferential rate of duty is leviable.

[No. 121/F. No. 355/64/72-Cus.I.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1972

सा० का० नि० 453(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, ताड़ के तेल को, वनस्पति के विनिर्माण में प्रयोग के लिए, जब उसका भारत में आयात किया जाए, —

(क) जहां शुल्क की मानक दर उद्ग्रहणीय हो, वहां उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क, जो भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, के उतने भाग से, जितना 30 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक हो ;

(ख) जहां शुल्क की अधिमानी दर उद्ग्रहणीय हो, वहां उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क जो उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, के उतने भाग से, जितना 20 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक हो ;

एतद्द्वारा छूट देती है ।

[सं० 121/फा० सं० 355/64/72-सी०शु०]

G.S.R. 454(E). In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 62 of the Finance Act, 1972 (16 of 1972), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts palm oil, when imported into India, for use in the manufacture of vanaspati, from so much of the regulatory duty of customs leviable thereon, under the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 72-Customs, dated the 28th May, 1972, as is in excess of 2½ per cent of the value as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962.

[No. 122/F. No. 355/64/72-Cus.I.]

S. NARAYANAN, Dy. Secy.

सा० का० नि० 454(अ).—वित्त अधिनियम, 1972 (1972 का 16) की धारा 62 की उपधारा (4) के साथ पठित, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, ताड़ के तेल को, वनस्पति के विनिर्माण में प्रयोग के लिए, जब उसका भारत में आयात किया जाए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 72-सीमा-शुल्क, तारीख 28 मई, 1972 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय विनियामक सीमाशुल्क के उतने भाग से एतद्द्वारा छूट देती है, जितना सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित मूल्य के ढाई प्रतिशत से अधिक हो ।

[सं० 122/फा० सं० 355/64/72-सी० शु०–1]

एस० नारायणन, उप सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972